



संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त-नीति / 52 /आईएस-1/2021-22
परिपत्र सं. 77 /पुनर्वित्त- 27 /2022

11 अप्रैल मार्च 2022

अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान अंतरिम आधार पर अल्पावधि ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) जारी रखना

कृपया 2021-22 और 2022-23 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर दिनांक 29 मार्च 2022 के हमारे परिपत्र संख्या 49 (संदर्भ संख्या राबैं.डॉर-नीति/1691/आईएस-1/2021-22) को देखें।

उपर्युक्त परिपत्र के क्रम में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2022 के अपने पत्र संख्या एफ़.सं.1-4/2020-ऋण-1 के माध्यम से निम्नलिखित को स्पष्ट किया है: -

(क) पूर्वोक्त परिपत्र के पैरा 2 (बी) में "प्रीपे" शब्द को "रीपे" के रूप में पढ़ा जाए।

(ख) अल्पावधि ऋण (यानी फसल ऋण + पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों) पर ब्याज सहायता (आईएस) और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के लाभ केवल ₹ 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की समग्र सीमा पर प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। एमआईएसएस के लिए ₹ 3 लाख रुपये की निर्धारित समग्र सीमा के भीतर केवल पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों के लिए यह सुविधा प्रति किसान ₹ 2 लाख रुपये की अधिकतम उप-सीमा के अधीन है।

Continuation of Modified Interest Subvention Scheme for Short Term Loans on interim basis during the year 2021-22 and 2022-23

Please refer to our circular No.49 (Ref. No. NB.DoR-Policy/1691/IS-1/2021-22) dated 29 March 2022 on the Modified Interest Subvention Scheme for short term crop loans during 2021-22 and 2022-23.

In continuation of the above circular, MoA&FW, GoI vide their letter No.F.No.1-4/2020-Credit-I dated 31 March 2022 have clarified the following:-

(a) In para 2(b) of ibid circular the word "prepay" may be read as "repay".

(b) The guidelines for extending benefit of IS and PRI on short term loan (i.e. crop loan + allied activities including Animal Husbandry, Dairy, Fisheries, **Bee Keeping** etc.) are available only on an overall limit of Rs. 3 lakh per annum and subject to a maximum sub-limit of Rs. 2 lakh per farmer involved in activities only related to Animal Husbandry, Dairy, Fisheries, Bee Keeping etc. within the prescribed limit of Rs.3 lakh for MISS.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >>

<p>(ग) भारत सरकार के दिनांक 09.07.2020 के निर्देश को संशोधित नहीं किया गया है अतः आधार प्रमाणीकरण से छूट के लिए निर्धारित मानदंड अभी भी असम, मेघालय और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर (अब जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों) के लिए लागू हैं।</p> <p>हमारे उपर्युक्त परिपत्र के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित हैं।</p>	<p>(c) The exclusion criterion for Aadhar authentication is still applicable for the State of Assam, Meghalaya and erstwhile Jammu & Kashmir (Now UTs of Jammu & Kashmir and Ladakh) as the GoI instruction dated 09.07.2020 has not been revised.</p> <p>Other terms and conditions of our above circular remain unchanged.</p>
---	--

भवदीय

(विवेक कृष्ण सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org